

अनुसूची "घ"

(देखें नियम 14)

परिवाद संख्यावर्ष.....परिवादी(शिकायत कर्ता)

बनाम

लोक-सेवक.....

सेवा में,

.....

.....

.....

आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परिवाद की सुनवाई
(स्थान) पर तारीखको की जायगी। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने साक्षी (गवाह) के साथ बजे (पूर्वाह्न/अपराह्न) में उपस्थित हों और इसमें असफल न हों।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि इस सूचना के अनुसार आप उपस्थित होने में असफल रहेंगे तो इस विषय का विनिश्चय (निर्णय) आपकी अनुपस्थिति में ही कर दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर के साथ दिया गया।

तारीख.....

सचिव(प्रभारी)
लोकायुक्त का कार्यालय,
झारखंड, राँची।